S.No.	Item	Static Unit
37	Shami Kabah (2 pieces) 50 gms.	15.00
38	Dry Vegetable 165 gms.	8.00
39	Boiled vegetable 200 gms.	8.00
40	Chapati 25 gms.	0.75
41	Dal 165 gms.	5.00
42	Potatoo chips 100 gms.	6.00
43	Curd 100 gms.	2.50
44	Parantha 50 gms.	1.50
45	Jodhpuri Piyaj Ki Kachori 100 gms.	6.00
46	Rajmah Curry 200 gms.	5.00
47	Shikhanjavi 250 ml.	3.00
48	Rumali Roti 50 gms.	1.25
49	Bread Slice small each	0.50
50	Hamburger Non-vegetarian (65 gms.)	10.00
51	Paneer pakora 120 gms.	10.00
52	Hamburger vegetarian (50 gms.)	8.00
53	Vegetable sandwitch (2 pieces)	6.00

Running of trains by private parties

2930. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that private parties are being allowed to run private trains in some sectors;

(b) if so, what are the companies so allowed and the sectors allotted; and

(c) what are the reasons for doing so?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of global bids invited in 1994 letter of intent has been awarded to M/s Sterling Holiday Resorts (India) Ltd., Chennai for ownership, marketing and management of tourist trains on the following sectors:—

(i) Delhi-Jaipur-Agra-Gwalior-Jhansi (Khajuraho)-Varanasi-Lucknow-Delhi.

(ii) Bangalore-Mysore-Chennai-Kodaikanal Road-Kanyakumari-Trivandrum-Cochin-Mettupalayam (Ooty)-Bangalore.

(c) Promotion of inbound tourism by rail and to earn revenues for Railways.

इंण्डियन रेलवे कांफ्रेंस एसोसिएशन कोचिंग प्रशुल्क के अंतर्गत रेल भाड़े में स्थाई छूट

2931. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार आई०आर०सी०ए० कोचिंग प्रशुल्क के अंतर्गत रेल भाड़े में स्थाई रूप से लगभग 104 संस्थाओं को छूट दे रही है;

(ख) यदि हां, तो रेल भाड़े में दी जाने वाली छूट की क्या प्रक्रिया है तथा स्थाई रूप से छूट पाने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि लाइफ इटरनल ट्रस्ट, नई दिल्ली ने स्थाई छूट के लिए आवेदन किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संस्था को स्थाई छूट न दिए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) स्थायी रियायत हेतु अर्हक संगठनों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्र सं० 53]** प्रतिनिधियों को संबंधित संगठन के सचिव से अपेक्षित प्रमाणपत्र के साथ मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक आदि